III नीतिगत परिवेश

2021-22 में रिज़र्व बैंक की नीतियों का उद्देश्य महामारी के प्रभाव को कम करना और आर्थिक बहाली का पोषण करना था। 2022-23 के दौरान अब तक, नीतिगत ध्यान मूल्य स्थिरता हासिल करने पर केंद्रित हो गया है, जिसमें नीतिगत दर संबंधी कार्रवाई और उदार रुख को क्रमिक रूप से वापस लेना शामिल है। रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी नीति संबंधी उपाय विनियमित संस्थाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार करने के लिए किए गए थे।।

1. भूमिका

III.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतियों का ध्यान उदीयमान आर्थिक बहाली को सहारा देते हुए अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर केंद्रित करना जारी रखा। वर्ष की दूसरी छमाही में, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने और मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, नियत तारीखों के संबंध में महामारी से जुड़े उपायों को कालातीत होने देने और अपरंपरागत उपायों को समाप्त करते हुए चलनिधि को सुविचारित तरीके से वापस लेने की दिशा में क्रमिक बदलाव हुआ। 2022-23 के दौरान अब तक, स्फीतिकारी दबावों के मद्देनजर नीति का ध्यान मूल्य स्थिरता हासिल करने पर केंद्रित हो गया है। तदनुसार, नीति दर में वृद्धि और उदार रुख को क्रमिक रूप से वापस लेना शुरू हो गया है। इसके साथ ही, रिज़र्व बैंक ने प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी सुधार की भी शुरुआत की है, जिसमें संभावित कमजोरियों को कम करने, वित्तीय बाजारों के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने, वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार करने, भुगतान परिवेश में सुधार करने और डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, खंड 2 में मौद्रिक और चलनिधि उपायों का ब्योरा देते हुए इस अध्याय की शुरूआत की गई है। इसके बाद खंड 3 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और क्रेडिट सहकारी समितियों के संबंध में विनियामक नीति में हुई प्रगति का अवलोकन किया गया है। खंड 4 में बैंकों और एनबीएफसी संबंधी पर्यवेक्षी कार्यनीतियों पर चर्चा की गई है, जबकि प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण से संबंधित नीतियों को खंड 5 में शामिल किया गया है। वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा, एवं ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेश से संबंधित नीतियां क्रमशः खंड 6 और 7 में शामिल हैं। खंड 8 में उपभोक्ता संरक्षण और खुदरा भागीदारी से संबंधित पहलों की समीक्षा की गई है, जबकि खंड 9 में भुगतान परिवेश के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के संबंध में रिज़र्व बैंक की पहलों को निर्धारित किया गया है। अंततः, खंड 10 में अध्याय का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

2. मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन

III.3 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कोविड-19 की दूसरी लहर के गंभीर प्रभाव के बाद हुई कमजोर वापसी को सहारा देने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 2021-22 के दौरान 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और अन्य पण्य की कीमतों की वजह से 2021-22 की चौथी तिमाही में बना स्फीतिकारी दबाव 2022-23 की पहली छमाही में कम होने की उम्मीद थी। तदनुसार, एमपीसी ने 2021-22 के दौरान एक उदार मौद्रिक नीति रुख जारी रखने का निर्णय लिया।

III.4 वर्ष 2021-22 में एमपीसी की छठी और अंतिम बैठक से एक पखवाड़े के भीतर, भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया और इस प्रकार वैश्विक और घरेलू दृष्टिकोण में भारी बदलाव आया। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और अन्य पण्यों की बढ़ती कीमतों एवं खाद्य और ऊर्जा की कमी की वजहों से घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने और संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण में गिरावट का जोखिम बना। एमपीसी ने अपने अप्रैल 2022 के संकल्प में नीतिगत दर को बरकरार रखने का फैसला किया था। हालांकि, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन ढांचे को बहाल करने के जरिए उदार रुख को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), स्थायी दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) को एलएएफ के फ्लोर के रूप में परवर्ती के ऊपर 40 आधार अंक (बीपीएस) की दर से प्रतिस्थापित करते हुए, प्रांरभ करने की बदौलत मौद्रिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से सख़्त किया गया क्योंकि मुद्रा बाजार की दरें उनके महामारी के निचले स्तर से बढ़ीं और चलनिधि की अधिकता को भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाली परिवर्तनीय रिवर्स रेपो (वीआरआर) नीलामियों के माध्यम से कम किया गया। युद्ध के झटके के कारण पण्य की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गईं और मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण बढ़ने का जोखिम उत्पन्न होने के साथ, एमपीसी ने मई 2022 में एक ऑफ-साइकिल बैठक में नीतिगत रेपो दर में 40 बीपीएस की बढ़ोतरी की, इसके बाद जून 2022, अगस्त 2022 और सितंबर 2022 प्रत्येक में 50 बीपीएस और दिसंबर 2022 में 35 बीपीएस की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार, मई 2022 के बाद से, रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने और बारंबार पड़ने वाले झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए नीतिगत रेपो दर में संचयी तौर पर 225 बीपीएस की वृद्धि की है। भारत के अनुभवजन्य अनुमानों से संकेत मिलता है कि उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति ऋण बाजार के कामकाज के लिए हानिकारक है (बॉक्स III.1)।

2021-22 के दौरान चलनिधि प्रबंधन

III.5 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2021 में द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) 1.0 की घोषणा की, ताकि भारी मात्रा में उधार लेने संबंधी केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के मद्देनजर बाजार की भावनाओं को आत्मसात किया जा सके, इसके बाद 2021-22 की पहली छमाही में संचयी रूप से ₹2.2 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ जून 2021 में जी-एसएपी 2.0 लाया गया। जी-एसएपी के तहत, रिज़र्व बैंक ने परिपक्वता स्पेक्ट्रम में ऑन दि रन (लिक्विड) और ऑफ दि रन (इलिक्विड) दोनों तरह की प्रतिभूतियां खरीदीं, जिनमें से 68 प्रतिशत से अधिक खरीद 5 से 10 साल के परिपक्वता खंड में संकेंद्रित थी, इस प्रकार मीयाद संरचना के मध्य खंड के परिपक्वताओं के लिए चलनिधि प्रदान की गई। जी-एसएपी ने जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करके मौद्रिक संचरण को भी सुगम बनाया, जो अन्य वित्तीय बाजार लिखतों के मूल्य निर्धारण के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करता है। अक्टूबर 2021 में अधिशेष चलनिधि की बहुतायत को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने जी-एसएपी को बंद कर दिया।

III.6 जी-एसएपी के अलावा, रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को ₹66,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान कीं; देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए ₹50,000 करोड़ की सावधि चलनिधि सुविधा; लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ), जिनमें से ₹10,000 करोड़ प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण देने में लगाए जाने थे; और कतिपय संपर्क-गहन क्षेत्रों पर महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए ₹15,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि सुविधा। तनावग्रस्त क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए प्रमुख लक्षित चलनिधि सुविधाओं की समय-सीमा भी बढ़ा दी गई थी: एसएफबी हेतु एसएलटीआरओ सुविधा 31 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध कराई गई थी, जबकि इसे ऑन-टैप पर भी उपलब्ध कराया गया था; आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ और संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ₹15,000 करोड़ की चलनिधि सुविधा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

III.7 यह मानते हुए कि महामारी-प्रेरित उपायों से भारी मात्रा में चलनिधि की अधिकता जोखिम के गलत मूल्य-निर्धारण

बॉक्स III.1 मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव और ऋण वृद्धि

एरर करेक्शन के साथ ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में (एआरडीएल-ईसी)[1 एवं 2] जनवरी 2009 से मार्च 2022 तक के मासिक डेटा का विश्लेषण किया गया। नतीजा दर्शाते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव दोनों भविष्य के नकदी प्रवाह के आसपास अनिश्चितता पैदा करके ऋण वृद्धि को घटाती हैं, जिससे निवेश योजना के संबंध में निर्णय लेने में देरी होती है (फ्रीडमैन, 1977 और फिशर, सहाय, और वेघ, 2002)। जबकि उच्च ब्याज दरों का ऋण वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, रिज़र्व बैंक के सूचकांक (बीईआई)[3] में सन्निहित कारोबारी प्रत्याशाएं ऋण वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। लंबे समय तक चलने वाले संतुलन में गड़बड़ी को मध्यम गति से ठीक किया जाता है। इससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय, फ्रंट-लोडेड कार्रवाइयों से झटके के बाद ऋण बाजार को तेजी से सामान्य बनाने में मदद मिल सकती है (सारणी 1)।

सारणी 1: एआरडीएल रिग्रेशन परिणाम

ऋण वृद्धि	गुणांक	मानक त्रुटि	टी-सांख्यिकी	पी>टी
एडीजे				
ऋण वृद्धि (एल1).	-0.1399	0.0395	-3.54	0.001***
एलआर				
Δ ब्याज (एल1).	-0.4377	0.2492	-1.76	0.081*
मुद्रास्फीति (एल 1).	-2.4329	1.2256	-1.99	0.049**
मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव (एल1).	2.4396	2.6719	0.91	0.363
बीईआई (एल1).	0.6967	0.1985	3.51	0.001***
जीडीपी वृद्धि (एल1).	0.1123	0.1655	0.68	0.499
कान्स्टन्ट	-73.7918	22.6043	-3.26	0.001***
एसआर				
ऋण वृद्धि				
एलडी.	-0.1647	0.0846	-1.95	0.054*
एल2डी.	-0.1022	0.0803	-1.27	0.205
एल3डी.	0.2086	0.0772	2.70	0.008***
Δ ब्याज				
डी1.	-0.0254	0.0277	-0.92	0.361
एलडी.	0.0814	0.0282	2.89	0.004***
एल2डी.	0.0848	0.0275	3.09	0.002***
मुद्रास्फीति (तिमाही)				
डी1.	-0.7663	0.1550	-4.95	0.000***
मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव				
डी1.	-2.8310	1.0854	-2.61	0.010**
बीईआई				
डी1.	0.0710	0.0407	1.75	0.083*
एलडी.	-0.1675	0.0449	-3.73	0.000***
एल2डी.	-0.0698	0.0446	-1.57	0.119
एल3डी.	-0.1035	0.0439	-2.36	0.020**
जीडीपी वृद्धि				
डी1.	0.0157	0.0228	0.69	0.491

नंबर ऑफ आब्जर्वेशन्स = 155
आर-स्क्वयर्ड = 0.3607
समायोजित आर-स्क्वयर्ड = 0.2761

टिप्पणियां: 1. बीईआई कारोबार प्रत्याशा सूचकांक है।
2. एल1, एल2, एल3 का तात्पर्य संगत अंतराल से है।
3. डी का तात्पर्य अंतर से है।
4. एलडी का तात्पर्य अंतराल के बीच अंतर से है।
5. एआरडीएल बाउंड्स परीक्षण बताता है कि निष्कर्ष मजबूत हैं।
6. *** पी<0.01, ** पी<0.05, * पी<0.1

संदर्भ

फिशर, एस., सहाय, आर., एंड वेग, सी.ए. (2002). मॉर्डन हाइपर एंड हाइ इन्फ्लेशन्स। *जर्नल ऑफ इकनामिक लिट्रेचर*।

फ्रीडमैन, एम. (1977). इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। *जर्नल ऑफ पोलिटिकल इकानमी*।

पेसरन, एम. एच., एंड शिन, वाई. (1997). एन ऑटोरिग्रेसिव लैग मॉडलिंग अप्रोच टु कोइंटीग्रेशन एनेलिसिस। *इकनोमेट्रिक्स एंड इकनामिक थियरी इन द 20थ सेंचुरी: द रागनार फ्रिश सेन्टेन्नियल सिम्पोसियम*। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

पेसरन, एम. एच., शिन, वाई., एंड स्मिथ, आर. जे. (2001). बाउंड्स टेस्टिंग अप्रोचस टु द एनेलिसिस ऑफ लेवल रिलेशनशिप्स। *जर्नल ऑफ अप्लाइड इकनोमेट्रिक्स*।

और वित्तीय स्थिरता चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, रिज़र्व बैंक ने 2021-22 के दौरान चलनिधि की स्थिति को सामान्य अवस्था में लाना शुरू कर दिया ताकि उसे पनपते समष्टिआर्थिक बदलाव के अनुरूप किया जा सके। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को दो चरणों में निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत के अपने महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल किया गया था, जिसमें से प्रत्येक में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी, जो 27 मार्च 2021 और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी था।

[1] चूंकि विचाराधीन चर एकीकरण के विभिन्न क्रमों के हैं, इसलिए सह-एकीकरण के एंगल ग्रेंजर और जोहान्सन परीक्षणों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए एआरडीएल पद्धति को चुना गया।

[2] मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव की गणना एक एक्सपोनेंशियल जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिक (ईजीएआरसीएच (1,1)) मॉडल का उपयोग करके की गई थी क्योंकि यह मापदंडों पर नॉन-नेगेटिविटी कन्स्ट्रैन्ट्स को अधिरोपित नहीं करता है और मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले झटकों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव की अनुक्रियता में विषमता को पकड़ने में सक्षम है (काटूसाइम, 2018).

[3] कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण (बीईआई) में नौ मापदंड शामिल हैं- (1) समग्र कारोबार स्थिति, (2) उत्पादन, (3) ऑर्डर बुक, (4) कच्चे माल की सूची, (5) तैयार माल की सूची, (6) लाभ मार्जिन, (7) रोजगार, (8) निर्यात और (9) क्षमता उपयोग। 100 से ऊपर का मान समग्र कारोबार गतिविधि के विस्तार को दर्शाता है और 100 से नीचे का मान संकुचन को दर्शाता है।

III.8 संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को बहाल करने के हिस्से के रूप में मुख्य चलनिधि प्रबंधन साधन के रूप में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से, अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान ₹2.0 लाख करोड़ से दिसंबर 2021 के अंत तक ₹7.5 लाख करोड़ के पूर्व-घोषित कार्यक्रम के माध्यम से वीआरआरआर नीलामियों के आकार में वृद्धि की गई थी। नतीजतन, अधिशेष चलनिधि अवशोषण को दीर्घावधिक 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामियों की तुलना में ओवरनाइट एफआरआरआर विंडो के जरिए निर्बाध रूप से पुनर्संतुलित किया गया। इन परिचालनों को 28-दिवसीय वीआरआरआर और 3-8 दिनों की परिपक्वता वाले फाइन-ट्यूनिंग परिचालनों का सहारा मिला। इन गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए, एफआरआरआर के तहत अवशोषित राशि 2021-22 की पहली छमाही के दौरान ₹4.6 लाख करोड़ से भारी रूप से घटकर 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान औसतन ₹2.0 लाख करोड़ हो गई।

III.9 चलनिधि अधिशेष को अवशोषित करने की दिशा में एक अतिरिक्त कदम के रूप में, बैंकों को दिसंबर 2021 में एक और विकल्प प्रदान किया गया था ताकि वे मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान आयोजित लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ 1.0 और 2.0) के तहत प्राप्त धन की बकाया राशि का पूर्व भुगतान कर सके। तदनुसार, बैंकों ने नवंबर 2020 में पहले भुगतान किए गए ₹37,348 करोड़ के अतिरिक्त दिसंबर 2021 में ₹2,434 करोड़ लौटाए।

III.10 महामारी के बाद की अवधि में अधिशेष चलनिधि स्थिति की वजह से बैंकों द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के लिए सीमित सहारे को देखते हुए, बैंकों को उनके एनडीटीएल के 2 प्रतिशत (महामारी के दौरान 3 प्रतिशत के बजाय) तक का उपयोग करने की अनुमति देने की सामान्य छूट को 1 जनवरी 2022 से बहाल कर दिया गया था।

III.11 सामान्य स्थिति उत्तरोत्तर रूप से कायम होने के साथ, रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2022 को घोषणा की कि (i) आरक्षित निधि बनाए रखने की अवधि के दौरान किसी अप्रत्याशित चलनिधि बदलावों से निपटने के लिए फाइन-ट्यूनिंग परिचालन के रूप में आवश्यकता पड़ने पर भिन्न-भिन्न अवधि के वीआरआर परिचालन किए जाएंगे, जबकि यदि आवश्यक हो तो लंबी परिपक्वता की नीलामी भी आयोजित की जाएगी; और (ii) एफआरआरआर और एमएसएफ परिचालन के लिए विंडो 1 मार्च 2022 से सभी दिनों में 17.30-23.59 बजे के दौरान उपलब्ध होगा (30 मार्च 2020 से 09.00-23.59 बजे के मुकाबले)। बाजार सहभागियों को सूचित किया गया कि वे एफआरआरआर से अपने शेष को वीआरआरआर नीलामी में स्थानांतरित करें और परिचालन सुविधा[4] के लिए ई-कुबेर पोर्टल में स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा का लाभ उठाएं।

2022-23 के दौरान चलनिधि प्रबंधन

III.12 आर्थिक बहाली की गति जोर पकड़ने और मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहनशील बैंड के ऊपर बनी रहने की पृष्ठभूमि में, 2022-23 के दौरान चलनिधि प्रबंधन का ध्यान गैर-बाधाकारी तरीके से उदार रुख को वापस लेने की ओर बदला।

III.13 अप्रैल 2022 में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, 3.75 प्रतिशत पर एसडीएफ को एफआरआरआर के स्थान पर एलएएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में पेश किया गया था। इस प्रकार, एसडीएफ दर को उस समय प्रचलित नीतिगत दर (4.00 प्रतिशत) से 25 बीपीएस नीचे रखा गया था और यह ओवरनाइट जमाराशियों पर लागू था; हालांकि, एसडीएफ विंडो ने उचित मूल्य निर्धारण के साथ, यदि आवश्यक हो, लंबे परिपक्वता काल की चलनिधि को अवशोषित करने के लचीलेपन को बरकरार रखा। एमएसएफ दर को 4.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया था, अर्थात, नीतिगत रेपो दर से 25 बीपीएस ऊपर। इस प्रकार, एलएएफ कॉरिडोर के दायरे को नीतिगत रेपो दर के आसपास सममित रूप से +/- 25 बीपीएस के महामारी-पूर्व की स्थिति में लाया गया (चार्ट III.1)।

[4] एएसआईएसओ अगस्त 2020 में पेश किया गया था ताकि बैंकों को उनके दिन के अंत में सीआरआर शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके, जिसके तहत बैंक एक विशिष्ट (या की सीमा) राशि को पूर्व निर्धारित करते हैं जिसे वे दिन के अंत में बनाए रखना चाहते हैं। एएसआईएसओ सुविधा के तहत, जैसा भी मामला हो, कोई कमी या बनाए रखा गया अधिक शेष स्वचालित रूप से एमएसएफ या रिवर्स रेपो बोलियां का आह्वान करेगा।

चार्ट III.1: प्रमुख मौद्रिक नीतिगत दरें

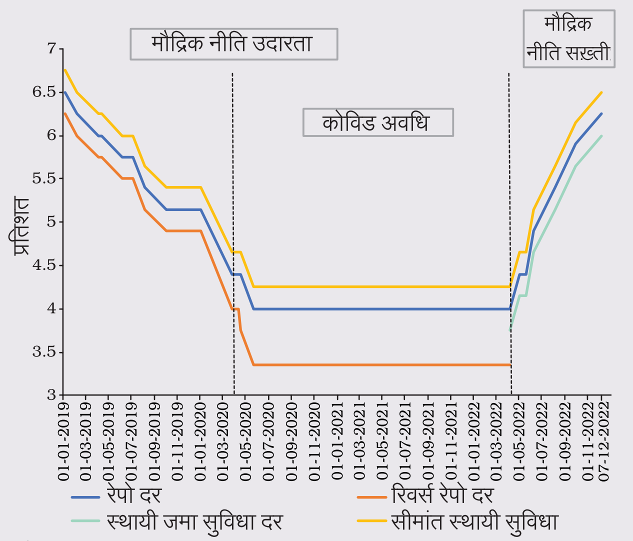

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था का डेटाबेस, आरबीआई।

एसडीएफ प्रारंभ करने के साथ, एफआरआरआर दर को 3.35 प्रतिशत पर बनाए रखा गया और इसे नीतिगत रेपो दर से अलग कर दिया गया। यह टूलकिट का हिस्सा बना रहेगा और समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए रिज़र्व बैंक के विवेक पर इसका उपयोग किया जाएगा। एमएसएफ के समान, एसडीएफ तक पहुंच बैंकों के विवेक पर है, रेपो/रिवर्स रेपो, खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) और सीआरआर के विपरीत जो रिज़र्व बैंक के विवेक पर हैं। केंद्रीय बैंक पर बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को दूर करके, एसडीएफ मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को मजबूत करता है। इसके अलावा, यह चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एक वित्तीय स्थिरता साधन है।

III.14 दिनांक 4 मई 2022 को एक ऑफ-साइकिल बैठक में नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के साथ, रिज़र्व बैंक ने सीआरआर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया (21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी), और इस प्रकार ₹87,000 करोड़ की राशि की प्राथमिक चलनिधि बैंकिंग प्रणाली से वापस ले ली गई। उदारता को वापस लेने के रुख के अनुरूप, एलएएफ के तहत दैनिक औसत अवशोषण द्वारा इंगित अधिशेष चलनिधि मार्च 2022 के दौरान ₹7.5 लाख करोड़ से कम होकर दिसंबर 2022 (11 दिसंबर तक) में ₹2.6 लाख करोड़ हो गई। संचयी रूप से, इन उपायों ने धीरे-धीरे ओवरनाइट मुद्रा बाजार दरों को नीतिगत रेपो दर के करीब लाया। कर बहिर्वाह के कारण थोड़े समय के लिए चलनिधि कमी होने की वजह से अस्थायी चलनिधि तंगी को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई और 21 सितंबर 2022 को क्रमशः 3 दिन और 1 दिन की परिपक्वता वाली दो वीआरआर नीलामी की। आगे बढ़ते हुए, रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में अधिक मुस्तैद और लचीला होगा।

3. विनियामकीय नीतियां

III.15 रिज़र्व बैंक ने कोविड-पश्चात के मौद्रिक और चलनिधि संबंधी उपायों को विनियामकीय नीति में बदलाव के जरिए बल प्रदान किया ताकि वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के दौरान और 2022-23 में अब तक, रिज़र्व बैंक का ध्यान विनियमित संस्थाओं (आरई) और उनके ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोविड-पश्चात के नीतिगत आसरे और विनियमों को क्रमिक और गैर-हानिकारक रूप से वापस लेने पर केंद्रित रहा है।

3.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

सूक्ष्मवित्त ऋण के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क

III.16 एनबीएफसी - सूक्ष्मवित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के विनियामकीय फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी आरई द्वारा सूक्ष्मवित्त ऋण देने के लिए एक समान विनियामक फ्रेमवर्क पेश किया गया था। सूक्ष्मवित्त ऋण की एक सामान्य परिभाषा शुरू करने और इन गतिविधियों में लगी 'लाभ के लिए नहीं' कंपनियों के मामले में छूट को वापस लेने के अलावा दिशानिर्देशों में आरई को घरेलू आय और ऋणग्रस्तता के आकलन, सूक्ष्मवित्त ऋण

के मूल्य-निर्धारण, कर्मचारियों का आचरण और उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्मवित्त ऋणों की चुकौती की आवधिकता में लचीलापन के संबंध में बोर्ड-अनुमोदित नीतियों को लागू करने की भी आवश्यकता है। सूक्ष्मवित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करने के अलावा, इस ढांचे का उद्देश्य सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं को डीलीवरेज करना, ग्राहक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना और सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं की ऋण जरूरतों को व्यापक तरीके से पूरा करने के लिए आरई को लचीला बनाना है।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक)[एफसीएनआर(बी)] योजना – संशोधित बेंचमार्क दर

III.17 बेंचमार्क दर के रूप में लंदन अंतरबैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) को बंद करने के मद्देनजर, नवंबर 2021 में यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों को संबंधित मुद्रा के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर (ओ-एआरआर) का उपयोग करते हुए एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें पेश करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के लिए ब्याज दर सीमा को ओ-एआरआर या स्वैप प्लस 250 बीपीएस के रूप में संशोधित किया गया था। 3 वर्ष और उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक और सहित की जमाराशियों के लिए इसे ओ-एआरआर या स्वैप प्लस 350 बीपीएस के रूप में संशोधित किया गया था। दिनांक 6 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता और आगामी स्पिलओवर के कारण पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के उपाय के रूप में 31 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए सीमा को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था।

प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान आवश्यकता

III.18 आरई को अपनी दबावग्रस्त आस्तियां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को अन्य चीजों के साथ-साथ एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर के बदले बेचने की अनुमति दी गई हैं, भले ही उनके पुराने मानदंड कुछ भी हों। ऐसे मामलों में जहां एसआर के बदले दबावग्रस्त आस्तियां बेची जाती हैं, अंतर्निहित एक्सपोजर के जोखिम प्रभावी रूप से बेचने वालों की बही से अलग नहीं होते हैं। इस चिंता को कम करने और ऐसी आस्तियों की 'वास्तविक बिक्री' सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2016 में रिज़र्व बैंक ने एक न्यूनतम सीमा के साथ उच्च प्रावधान निर्धारित किया था जब ऐसे विशिष्ट प्रतिभूतिकरण के तहत जारी किए गए एसआर में निवेश कुल एसआर का 50 प्रतिशत (बाद में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया) से अधिक हो गया था। ये निर्देश 24 सितंबर 2021 को सभी उधारदाताओं पर लागू किए गए थे। सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एससीबी के अलावा आरई को 28 जून 2022 को सूचित किया गया कि अतिरिक्त प्रावधान को 31 मार्च 2022 को समाप्त, अर्थात, 2021-22 से 2025-26 तक, वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि में विस्तारित किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए अतिरिक्त प्रावधान कुल आवश्यक प्रावधानों के पांचवें हिस्से से कम नहीं होने चाहिए।

बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ)

III.19 एक औपचारिक सीमापार समाधान व्यवस्था के अभाव में विदेशी बैंकों (एफबी) का अपने प्रधान कार्यालय (एचओ) पर एक्सपोज़र के लिए एक बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) लागू किया गया था ताकि भारत में उनकी शाखाओं के परिचालन पर ध्यानपूर्वक नज़र रखा जा सके। यह देखते हुए कि इससे ऐसे बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी का बोझ पड़ेगा, 9 सितंबर 2021 को एक नया ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) प्रणाली जारी की गई। सीआरएम में नकद/बिना देनदारी वाली अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, जिनके स्रोत एचओ से ब्याज-मुक्त धन या भारतीय बहीखातों (आरक्षित निधि) में रखे गए विप्रेषणीय अधिशेष होने चाहिएं। विदेशी बैंक शाखाओं के एचओ (विदेशी शाखाओं सहित) के सकल एक्सपोज़र को कुछ शर्तों के अधीन एलईएफ सीमाओं की गणना करते समय सीआरएम के साथ

ऑफसेट करने की अनुमति दी गई थी। विदेशी बैंक शाखाओं को एचओ पर डेरिवेटिव एक्सपोज़र की गणना करते समय 1 अप्रैल 2019 (ग्रैंडफादरिंग) से पहले निष्पादित सभी डेरिवेटिव संविदाओं को बाहर करने की अनुमति दी गई थी।

निदेशकों के लिए ऋण की सीमा

III.20 अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों (स्वयं के बैंकों के साथ-साथ अन्य बैंकों के भी) को बैंक के बोर्ड या प्रबंधन समिति की मंजूरी की आवश्यकता वाले ऋण की सीमा 1996 में ₹25 लाख तय की गई थी। सामान्य कीमतों में वृद्धि, विशेषज्ञ पेशेवरों को बोर्ड में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने और बोर्ड या प्रबंधन समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों की संख्या को कम करने की दृष्टि से सीमा में संशोधन कर वृद्धि की आवश्यकता थी। तदनुसार, 23 जुलाई 2021 को, रिज़र्व बैंक ने अन्य बैंकों के निदेशकों को व्यक्तिगत ऋण और निदेशकों के रिश्तेदारों (स्वयं के बैंकों के साथ-साथ अन्य बैंकों के भी) और संबद्ध संस्थाओं को सभी ऋणों की मंजूरी के लिए सीमा को संशोधित कर ₹5 करोड़ कर दिया।

पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड में बैंकों के निवेश का उचित मूल्यांकन

III.21 दिनांक 31 मार्च 2022 को रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि 2021-22 से बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को उनके उचित मूल्य या परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में शुरू में दर्शाए गए बाजार मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा। निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर अधिग्रहण लागत और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को तुरंत लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाएगा ।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात का कार्यान्वयन

III.22 बासेल III निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश 17 मई 2018 को जारी किए गए थे और 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले थे। कोविड-19 संबंधी अनिश्चितता के कारण, इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2021 तक उत्तरोत्तर रूप से स्थगित कर दिया गया था और यह 1 अक्टूबर 2021 से लागू हुआ था।

एलसीआर और एनएसएफआर के लिए लघु कारोबार ग्राहकों की परिभाषा की समीक्षा

III.23 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और एनएसएफआर को बनाए रखने के लिए, मौजूदा दिशानिर्देश में गैर-वित्तीय लघु कारोबार ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशियों और निधियों के अन्य आयाम को खुदरा खातों की तरह ही समान चलनिधि जोखिम विशिष्टता रखने के रूप में माना गया है। पात्र होने के लिए, प्रत्येक ग्राहक से एकत्रित धन पर ₹5 करोड़ (समेकित आधार पर जहां लागू हो) की सीमा निर्धारित की गई थी। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को बेहतर ढंग से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के मानकों के अनुरूप करने और बैंकों को अधिक प्रभावी ढंग से चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, 06 जनवरी 2022 से इस सीमा को बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दिया गया।

केवाईसी का आवधिक अद्यतन

III.24 महामारी के दौरान ग्राहकों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए आरई को 5 मई 2021 को सूचित किया गया था कि जिन मामलों में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अद्यतन होना बाकी और लंबित था, उनके खातों के परिचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। इस छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था।

III.25 आरई को उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए क्रमशः 2 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष में कम से कम एक बार केवाईसी (पुनः केवाईसी) को समय-समय पर अद्यतन करना आवश्यक है। रिज़र्व बैंक ने 10 मई 2021 को इस प्रक्रिया को सरल किया। केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, ग्राहक द्वारा डिजिटल समेत विभिन्न चैनलों का उपयोग करके एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है। यह प्रावधान विधिक संस्थाओं (एलई) के संबंध में भी पेश किया गया था। केवल व्यक्तिगत ग्राहक के पते में परिवर्तन के मामले में, नए पते की स्व-घोषणा की अनुमति दी गई है, बशर्ते

आरई द्वारा दो महीने के भीतर 'सकारात्मक पुष्टि' के माध्यम से सत्यापन किया जाए। इन सरल उपायों से ग्राहकों को सुविधा मिलने और आरई को समय पर केवाईसी रिकॉर्ड अद्यतन करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जलवायु जोखिमों के लिए विनियामकीय प्रतिक्रिया

III.26 रिज़र्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को वित्तीय प्रणाली हरितकरण नेटवर्क (एनजीएफएस) में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ और 3 नवंबर 2021 को अपना 'भारत की वित्तीय प्रणाली के हरितकरण के समर्थन हेतु प्रतिबद्धता वक्तव्य' प्रकाशित किया। जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने मई 2021 में जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के क्षेत्र में विनियामक पहलों का नेतृत्व करने के लिए एक स्थायी वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की, जिसमें बैंकों और अन्य आरई के लिए उपयुक्त जलवायु संबंधी प्रकटीकरण, स्थायी प्रथाओं का प्रचार और भारतीय संदर्भ में जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करना शामिल है। रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2022 में जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के संबंध में एक सर्वेक्षण किया (बॉक्स III.2).

बॉक्स III.2 जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त संबंधी सर्वेक्षण

27 जुलाई 2022 को रिज़र्व बैंक ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त संबंधी सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए, जिसमें भारत में 12 पीएसबी, 16 पीवीबी और 6 एफबी शामिल थे। इसका उद्देश्य जलवायु जोखिम के प्रबंधन में अग्रणी एससीबी के दृष्टिकोण, तैयारी के स्तर और प्रगति का आकलन करना था। सर्वेक्षण की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

- **बोर्ड स्तरीय भागीदारी और जिम्मेदारी :** जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के संबंध में बोर्ड स्तरीय भागीदारी अपर्याप्त है। सर्वेक्षण किए गए लगभग एक तिहाई बैंकों में, जलवायु जोखिम और स्थिरता से संबंधित पहलों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी अभी तक नहीं सौंपी गई थी। इसके अलावा, केवल कुछ बैंकों ने अपने शीर्ष प्रबंधन के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में जलवायु जोखिम / स्थिरता / पर्यावरणीय, समाज और गवर्नन्स (ईएसजी) संबंधी प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (केपीआई) शामिल किए हैं।
- **कार्यनीति :** अधिकांश बैंकों के पास स्थिरता और ईएसजी-संबंधी पहल के लिए एक अलग कारोबार इकाई या वर्टिकल नहीं था। केवल कुछ बैंकों के पास अपने कारोबार में ईएसजी सिद्धांतों को आत्मसात करने, अपने स्थायी वित्त पोर्टफोलियो को बढ़ाने और अपने मौजूदा जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु परिवर्तन जोखिमों को शामिल करने की कार्यनीति थी।
- **जोखिम प्रबंधन :** लगभग सभी सर्वेक्षण किए गए बैंकों ने इस मुद्दे की तात्कालिकता को पहचाना, और उनमें से अधिकांश ने जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों को अपने व्यवसाय के लिए एक भौतिक खतरा माना। भौतिक और ट्रान्जिशन जोखिमों को जलवायु से संबंधित जोखिमों के मुख्य स्रोतों के रूप में देखा गया था। कुछ बैंक एक निश्चित राशि से ऊपर क्रेडिट प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय जलवायु और पर्यावरण से संबंधित जोखिमों के अलावा सामाजिक और शासन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य अपने ऋण और निवेश पोर्टफोलियो की राशि को निर्धारित करने का भी प्रयास कर रहे हैं जो इस तरह के जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील है।
- **कम कार्बन एक्सपोजर की ओर अग्रसर :** सर्वेक्षण किए गए अधिकांश बैंकों ने आने वाले वर्षों में उच्च कार्बन पैदा करने वाले / प्रदूषणकारी कारोबार में उनके एक्सपोजर को धीरे-धीरे कम करने का फैसला किया है। कुछ बैंकों ने या तो हरित उधार और निवेश को बढ़ाने के लिए नई पूंजी जुटाई है या स्थायी वित्त के लिए वृद्धिशील उधार और निवेश के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिकांश बैंकों ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए कुछ ऋण उत्पाद पेश किए हैं, जबकि कुछ ने पर्यावरण-अनुकूल कारोबार हेतु उधार देने के लिए हरित जमाएं भी पेश किए हैं।
- **जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण :** अधिकांश बैंकों ने अपने जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण को किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत फ्रेमवर्क के अनुरूप नहीं किया है।
- **बैंकिंग परिचालनों में कम कार्बन वाले वातावरण की ओर बढ़ना :** अधिकांश बैंकों ने या तो कुछ उपाय किए हैं या उनके परिचालनों से उत्पन्न होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और उनकी कुल स्रोत बिजली में अक्षय ऊर्जा के अनुपात को बढ़ाने की योजना है। कुछ बैंकों ने या तो समयबद्ध योजनाओं की घोषणा की है या कार्बन-न्यूट्रल बनने के लिए अगले 12 महीनों में एक रोडमैप लाने की उनकी मंशा है।
- **क्षमता निर्माण और डेटा अंतराल :** अधिकांश बैंक जलवायु जोखिम के वित्तीय प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्षमता निर्माण पर विचार कर रहे हैं। अधिकांश बैंकों ने यह भी महसूस किया कि उपलब्ध डेटा जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के उचित मूल्यांकन के लिए अपर्याप्त थे और इन जोखिमों को मापने और निगरानी करने के लिए प्रक्रियाओं और पद्धतियों को भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया था।

सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि यद्यपि बैंकों ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के क्षेत्र में कदम उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस संबंध में ठोस प्रयास और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है। इस अभ्यास से मिली अंतर्दृष्टि से जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त के लिए रिज़र्व बैंक के नियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को आकार देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3.2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

III.27 वास्तविक आर्थिक गतिविधि को सहारा देने एवं ऋण मध्यस्थता के एक अतिरिक्त चैनल के रूप में कार्य करते हुए बैंकों का साथ देने में एनबीएफसी के योगदान को भली-भांति स्वीकार किया गया है। हाल के वर्षों में, इस क्षेत्र के आकार, जटिलता और अंतरसंबद्धता में वृद्धि हुई है, जिससे कुछ संस्थाएं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसके कारण 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी स्केल-आधारित विनियामक (एसबीआर) दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। यह ढांचा एनबीएफसी को बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल), मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल), अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और टॉप लेयर में विभाजित करता है, जिसमें विनियमन की गहनता में प्रगतिशील वृद्धि होती है। ग्लाइड पथ प्रदान किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीआर का कार्यान्वयन सुचारू और क्रमिक हो। विशेष रूप से, एनपीए वर्गीकरण मानदंडों और न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि आवश्यकता मानदंडों के लिए ग्लाइड पथ क्रमशः 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2027 तक हैं।

एनबीएफसी-यूएल के लिए बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क

III.28 एसबीआर के अनुसार एनबीएफसी के अपर लेयर में वे शामिल हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से मापदंडों के एक सेट के आधार पर अधिक विनियामक ध्यान देने की आवश्यकता के रूप में पहचाना जाता है। एनबीएफसी-यूएल को उधार संबंधी विनियामकीय प्रतिबंधों और बृहत् एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) पर विस्तृत दिशानिर्देश 19 अप्रैल 2022 को जारी किए गए थे (सारणी III.1).

एनबीएफसी-यूएल के लिए पूंजी आवश्यकताएं

III.29 विनियामक पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, एनबीएफसी-यूएल को जोखिम भारित आस्तियों के कम से कम 9 प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टिअर (सीईटी)-1 पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। 19 अप्रैल 2022 को, रिज़र्व बैंक ने विनियामक समायोजन और सीईटी -1 पूंजी से कटौती के साथ-साथ घटकों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करते हुए दिशानिर्देश जारी किए, जो मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी)[5] को छोड़कर एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचाने गए सभी एनबीएफसी पर लागू होते हैं।

सारणी III.1: एनबीएफसी-अपर लेयर के लिए बृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क

निम्नलिखित को समग्र एक्सपोजर मूल्य का जोड़	पात्र पूंजी आधार के प्रतिशत के रूप में वृहद एक्सपोजर सीमा	
	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों को छोड़कर	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां
एकल प्रतिपक्षकार	• 20 प्रतिशत • बोर्ड के अनुमोदन से अतिरिक्त 5 प्रतिशत • यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण/ निवेश में एक्सपोजर है तो अतिरिक्त 5 प्रतिशत • (किसी भी स्थिति में एकल प्रतिपक्षकार सीमा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)	• 25 प्रतिशत • बोर्ड के अनुमोदन से अतिरिक्त 5 प्रतिशत
संबद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह	• 25 प्रतिशत • यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण/ निवेश में एक्सपोजर है तो अतिरिक्त 10 प्रतिशत	• 35 प्रतिशत

स्रोत : आरबीआई।

एनबीएफसी-यूएल के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

III.30 एनबीएफसी-यूएल की बकाया वित्तपोषित आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी मानदंडों को वाणिज्यिक बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से, 6 जून 2022 को पूर्व के लिए मानक आस्ति प्रावधान मानदंड जारी किए गए थे। दिशानिर्देश 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो गए हैं और प्रावधान दरें व्यक्तिगत आवास ऋण एवं लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) के ऋणों के लिए 0.25 प्रतिशत से लेकर लुभावने आवास ऋणों के लिए 2.00 प्रतिशत तक हैं (सारणी III.2).

आढ़तियों (फैक्टर्स) का पंजीकरण

III.31 आढ़तियां (फैक्टरिंग) विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन के बाद, 14 जनवरी 2022 को रिज़र्व बैंक

[5] सीआईसी, निरंतर आधार पर, अपने मौजूदा निर्देशों के संदर्भ में समायोजित निवल मालियत बनाए रखना जारी रखेंगी।

सारणी III.2: एनबीएफसी-यूएल द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

आस्तियों की श्रेणी	वित्तपोषित राशि के बकाया के प्रतिशत के रूप में प्रावधान की दर
वैयक्तिक आवास ऋण एवं एसएमई को प्रदत्त ऋण	0.25 प्रतिशत
अति आकर्षक दर पर प्रदान किया गया आवास ऋण	2.00 प्रतिशत, जिस तारीख को दरों को पुनर्निधारित कर उच्च दर किया गया उस तारीख से एक साल बाद घटकर 0.40 प्रतिशत हो जाएगी (यदि खाता 'मानक' बना रहेगा)
वाणिज्यिक स्थावर संपदा – स्थानीय आवासीय (सीआरई-आरएच) क्षेत्र को अग्रिम	0.75 प्रतिशत
वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र (सीआरई-आरएच को छोड़कर) क्षेत्र को अग्रिम	1.00 प्रतिशत
पुनर्संरचित अग्रिम	अग्रिमों की पुनर्संरचना के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों में यथा निर्धारित
मध्यम उद्यमों को प्रदत्त ऋण समेत, ऊपर शामिल नहीं किए गए सभी अन्य ऋण और अग्रिम	0.40 प्रतिशत

स्रोत: आरबीआई।

ने एनबीएफसी को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट किए, जो फैक्टरिंग कारोबार करने का प्रस्ताव करते हैं। एनबीएफसी-फैक्टर्स के अलावा, ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली सभी जमाराशि नहीं लेने वाली एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) को फैक्टरिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाए। फैक्टरिंग कारोबार करने के लिए इच्छुक किसी भी अन्य एनबीएफसी-आईसीसी को एनबीएफसी-फैक्टर में बदलने के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क करना होगा।

सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के रूप में आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

III.32 इससे पहले, एचएफसी को जमानती कर्ज में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के उद्देश्य से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत एफआई के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए कुछ निर्धारित मानदंडों[6] को पूरा करना होता था और उन्हें व्यक्तिगत इकाई आधार पर आवेदन करना आवश्यक था। प्रक्रिया को सरल बनाने और सरफेसी अधिनियम के उद्देश्यों की प्रवर्तनीयता में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने 17 जून 2021 को अधिसूचित किया कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत एचएफसी, जिनके पास ₹100 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति है, को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(एम)(iv) के तहत 'एफआई' के रूप में माना जा सकता है। तदनुसार, एचएफसी को अधिसूचित करने के लिए पूर्व में निर्धारित मानदंड को रिज़र्व बैंक द्वारा 25 अगस्त 2021 को वापस ले लिया गया था।

एचएफसी और एनबीएफसी की जमाराशियों के संबंध में न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग (एमआईजीआर) की समीक्षा

III.33 एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की स्वीकृति से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देश अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) और उनके संगत एमआईजीआर की एक सूची निर्धारित करते हैं। दिनांक 02 मई 2022 को अनुमोदित रेटिंग को सेबी-पंजीकृत सीआरए में से किसी के लिए 'बीबीबी-' में समान रूप से मानकीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालिक कर्ज लिखतों और भिन्न-भिन्न सीआरए के साथ बेहतर तुलना हुई।

गैर-बैंक संस्थाओं के लिए आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण

III.34 धन शोधन रोकथाम (पीएमएल) अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राहकों की आधार संख्या का प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की अधिसूचना यूआईडीएआई और उपयुक्त विनियामक के परामर्श के बाद ही जारी की जानी है। तदनुसार,

[6] जैसे कि न्यूनतम पर्यवेक्षी रेटिंग का अनुपालन एवं अन्य प्राधिकारों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न प्राप्त हो।

13 सितंबर 2021 को, रिज़र्व बैंक ने आधार प्रमाणीकरण लाइसेंस-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस (केयूए के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के लिए) प्राप्त करने के इच्छुक सभी एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को जांच के लिए रिज़र्व बैंक को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाया ताकि आवश्यक सावधानी बरतने के बाद यूआईडीएआई को सिफारिश की जा सके।

एनबीएफसी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे के संबंध में दिशानिर्देश

III.35 दिनांक 29 अप्रैल 2022 को, रिज़र्व बैंक ने प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और एनबीएफसी के वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे को तय करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट जारी किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना चाहिए, जो मुआवजा नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। एनआरसी प्रस्तावित और मौजूदा निदेशकों की 'योग्य और उचित' स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है और यह कि कंपनी के बोर्ड, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन में निदेशकों की नियुक्ति में हितों का कोई टकराव न हो। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि नियत और परिवर्तनीय वेतन वाले मुआवजा पैकेज को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया जा सकता है। परिवर्तनीय वेतन के एक निश्चित हिस्से में एक डिफरल व्यवस्था हो सकती है और डिफरल वेतन को मालस / क्लॉबैक व्यवस्था के अधीन किया जा सकता है।

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) द्वारा गतिविधियों का विविधीकरण

III.36 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को, रिज़र्व बैंक ने एसपीडी को अपनी गैर-प्रमुख गतिविधियों के हिस्से के रूप में उपयोगकर्ताओं को सभी विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण की सुविधाएं पेश करने की अनुमति दी, जैसा कि वर्तमान में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 (एडी -1) को अनुमति दी गई है, ताकि प्राथमिक व्यापारी वाले कारोबार करने वाले बैंकों के बराबर बाजार निर्माताओं के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया जा सके। 01 जनवरी 2023 से, एसपीडी की संबंधित संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए रुपये से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन को लेनदेन की तारीख के बाद कारोबार दिवस के दोपहर 12 बजे से पहले भारतीय समाशोधन निगम के ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित करना आवश्यक है।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा

III.37 अप्रैल 2021 में, रिज़र्व बैंक ने एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने और अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से कार्य करने के लिए अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। तदनुसार, समिति की सिफारिशों और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर एआरसी के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे में संशोधन किया गया था (बॉक्स III.3).

3.3 सहकारी बैंक

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

III.38 दिनांक 25 जून 2021 को, रिज़र्व बैंक ने ₹5000 करोड़ या उससे अधिक के आस्ति आकार वाले सभी यूसीबी को उनके कारोबार के बढ़ते आकार और दायरे को देखते हुए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने की सलाह दी। यूसीबी के बोर्ड को सीआरओ की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें।

यूसीबी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा

III.39 यूसीबी के लिए संशोधित नियामक ढांचा 19 जुलाई 2022 को, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया, जिसके तहत उनकी वित्तीय

बॉक्स III.3: एआरसी के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा

11 अक्टूबर 2022 को जारी एआरसी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे का उद्देश्य एआरसी में कॉर्पोरेट गवर्नन्स को मजबूत करना, उनके कामकाज की पारदर्शिता बढ़ाना, विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी भूमिका को सुकर बनाना था।

कॉर्पोरेट गवर्नन्स को मजबूत करना

प्रत्येक एआरसी को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना आवश्यक है और बोर्ड की बैठक में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं। पदाधिकारी प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक के लिए अधिकतम निरंतर कार्यकाल पंद्रह वर्षों तक सीमित कर दिया गया है ताकि सुदृढ़ शासन पद्धतियों की मजबूत संस्कृति और एआरसी के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्वामित्व को प्रबंधन से अलग करने के सिद्धांत को अपनाया जा सके। एआरसी को बोर्ड की दो समितियों, अर्थात, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे बोर्ड की प्रभावकारिता में वृद्धि होने और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सुधार होने की उम्मीद है।

पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ाना

संशोधित ढांचे में एआरसी के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण प्रदान करना शामिल है (i) एसआर निवेशकों के लिए सृजित रिटर्न, (ii) रिकवरी रेटिंग माइग्रेशन और (iii) पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं की रेटिंग एजेंसी के साथ संव्यवहार। इसके अलावा, एआरसी के पिछले कार्य-निष्पादन के लिए प्रकटीकरण अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है और एआरसी को एसआर धारकों को एसआर की रेटिंग के पीछे के अनुमान और तर्क का प्रकटीकरण आवश्यक है। इन उपायों की बदौलत अर्हताप्राप्त क्रेताओं (क्यूबी) के व्यापक समूह से होने वाले निवेश सुविधाजनक होने की उम्मीद है, एआरसी और एसआर धारकों के बीच सूचना विषमता को दूर किया जा सकता है, एआरसी के बीच स्वस्थ होड़ को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्राप्त होने के लिए एआरसी को आस्तियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एआरसी को कम से कम 6 रेटिंग साइकिल (प्रत्येक छमाही के) के लिए सीआरए को बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है ताकि उनके साथ निरंतर संव्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

विवेकपूर्ण मानदंडों का सुदृढ़ीकरण

संशोधित पद्धति में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए एआरसी को पेशेवर विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा ओटीएस प्रस्तावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद बोर्ड द्वारा आईएसी की सिफारिशों की समीक्षा की जाती है। नए ढांचे के तहत, एआरसी को केवल अंतर्निहित वित्तीय आस्तियों से शुरू की गई रिकवरी से कोई प्रबंधन शुल्क या प्रोत्साहन वसूलना अनिवार्य है। एआरसी के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता को भी ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया है ताकि एआरसी के तुलन-पत्र को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जा सके नतीजतन कर्ज-एकत्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

दबाववग्रस्त आस्तियों के समाधान में एआरसी की भूमिका को सुविधाजनक बनाना

दिशानिर्देशों में एआरसी को सभी मामलों में जारी कुल एसआर के 15 प्रतिशत की पिछली आवश्यकता की तुलना में एसआर में अंतरणकर्ताओं के निवेश का न्यूनतम 15 प्रतिशत या जारी किए गए कुल एसआर का 2.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, एसआर में निवेश करने की अनुमति दी गई है। इससे पूंजी का कुशल उपयोग होने की उम्मीद है जिससे एआरसी अधिक से अधिक सौदों में भाग लेने में सक्षम होंगी। एआरसी को कुछ अतिरिक्त अल्पावधि लिखतों जैसे मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, जमा प्रमाण पत्र और एए- या उससे अधिक रेटेड कॉर्पोरेट बॉण्ड/वाणिज्यिक पत्रों में अधिशेष निधि निवेश करने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ₹1000 करोड़ के न्यूनतम एनओएफ वाले एआरसी को आईबीसी के तहत समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर, ऋणदाताओं को सभी दबावग्रस्त ऋणों को एआरसी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले केवल उन दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण की शर्त थी जो 60 दिनों से अधिक समय से चूक में थे। इससे दबावग्रस्त आस्तियों के बेहतर पुनर्निर्माण और रिकवरी के साथ-साथ कर्ज एकत्रीकरण सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

सुदृढ़ता[7] को मजबूत करने के उद्देश्य से विभेदित विनियामक नुस्खे के साथ एक सरल चार-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया। इसने एकल जिले में काम करने वाले टिअर 1 यूसीबी के लिए ₹2 करोड़ और अन्य सभी यूसीबी (सभी स्तरों के) के लिए ₹5 करोड़ का न्यूनतम निवल मालियत निर्धारित किया ताकि उनकी वृद्धि के वित्तपोषण के लिए उनके लचीलेपन और क्षमता को मजबूत किया जा सके। इस मामले पर नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार जो यूसीबी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं उन्हें

[7] टिअर 1 - सभी यूनिट यूसीबी और वेतनभोगी यूसीबी (जमा आकार के निरपेक्ष) और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास ₹100 करोड़ तक की जमाराशि है; टिअर 2 - ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक के जमाराशि वाले यूसीबी; टिअर 3 - ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक के जमाराशि वाले यूसीबी; टिअर 4 - ₹10,000 करोड़ से अधिक जमाराशि वाले यूसीबी।

31 मार्च 2028 तक एक मध्यवर्ती लक्ष्य के साथ 31 मार्च 2026 तक या उससे पहले लागू न्यूनतम निवल मालियत का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए एक ग्लाइड पथ प्रदान किया गया है ताकि ट्रान्समिशन को सुचारू बनाया जा सके।

III.40 टिअर 1 बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता को 9 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया था, जबकि टिअर 2, टिअर 3 और टिअर 4 यूसीबी के लिए इसे संशोधित कर 12 प्रतिशत किया गया था ताकि उनकी पूंजी संरचना को मजबूत किया जा सके। संशोधित सीआरएआर को पूरा नहीं करने वाले बैंकों को 31 मार्च 2024 तक 10 प्रतिशत, 31 मार्च 2025 तक 11 प्रतिशत और 31 मार्च 2026 तक 12 प्रतिशत सीआरएआर हासिल करने के लक्ष्य के साथ तीन साल का ग्लाइड पथ प्रदान किया गया था।

शाखा विस्तार के लिए स्वचालित मार्ग

III.41 संशोधित विनियामक ढांचे के तहत, रिज़र्व बैंक ने संशोधित वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंड[8] को पूरा करने वाले यूसीबी के शाखा विस्तार के लिए एक स्वचालित मार्ग शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के अंत को यथास्थिति शाखाओं की संख्या के 10 प्रतिशत तक नई शाखाएं खोलने की अनुमति मिली, बशर्ते न्यूनतम एक शाखा और अधिकतम पांच शाखाएं खोली जाएं। जबकि पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत शाखा विस्तार प्रस्तावों की जांच अब तक की तरह जारी रहेगी, अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

4. पर्यवेक्षी नीतियां

III.42 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने अपने पर्यवेक्षण को और अधिक जोखिम केंद्रित तथा दूरंदेशी बनाया है। चालू गतिविधियों और प्रस्तावित परियोजनाओं से ऑफ-साइट के साथ-साथ ऑन-साइट पर्यवेक्षण, जांच और निगरानी के दायरे और क्षमता में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यवेक्षी गहनता और प्रभावकारिता तेजी से बदलती वित्तीय प्रणाली के साथ समकालीन बनी रहे, निगरानी प्रणालियों को ज्यादा पैना, अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

एनबीएफसी में मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)

III.43 एनबीएफसी में अनुपालन कार्य को मजबूत करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2022 को कुछ सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित कीं। अपर और मिडल लेयर की एनबीएफसी पर लागू किए गए दिशानिर्देशों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अनुपालन कार्य को लागू करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें क्रमशः 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्टूबर 2023 तक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की नियुक्ति शामिल है। अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियों, सीसीओ की नियुक्ति और कार्यकाल संबंधी शर्तें और अनुपालन कार्य की स्वतंत्रता और दोहरी हैटिंग से न्यूनतम अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं।

एनबीएफसी के लिए कोर वित्तीय सेवा समाधान

III.44 दिनांक 01 अक्टूबर 2022 तक दस और इससे अधिक निर्धारित बिंदु सेवा सुपुर्दगी इकाइयों के साथ मिडल और अपर लेयर में एनबीएफसी को 30 सितंबर 2025 तक बैंकों द्वारा अपनाए गए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की तरह चरणबद्ध तरीके से कोर वित्तीय सेवा समाधान (सीएफएसएस) को लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया है। बेस लेयर में आने वाले एनबीएफसी और दस से कम निर्धारित बिंदु सेवा सुपुर्दगी इकाइयों वाले मिडल और अपर लेयर में आने वाले एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे अपने लाभ के लिए सीएफएसएस के कार्यान्वयन पर विचार करें।

[8] एफएसडब्ल्यूएम स्थिति निर्धारित करने के लिए संशोधित मानदंडों में निम्नलिखित शामिल है, सीआरएआर लागू न्यूनतम सीआरएआर से कम से कम 1 प्रतिशत अंक ऊपर होना चाहिए; निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक ना हो; पिछले चार वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए निवल लाभ और तुरंत पूर्व वर्ष में कोई निवल हानि नहीं हुई हो; पिछले वित्त वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में कोई चूक नहीं हो; बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशकों के साथ सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली; कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पूर्णत: लागू हो; और पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान आरबाई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो।

5. प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना

III.45 रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसने डिजिटल बैंकिंग इकाई मॉडल, डीबीयू में दी जाने वाली सुविधाओं, डीबीयू के कामकाज की निगरानी, साइबर सुरक्षा और अन्य आईटी संबंधित पहलुओं, और डिजिटल बैंकिंग जागरूकता फैलाने में डीबीयू की भूमिका के संबंध में अपनी सिफारिशें दीं। समिति की सिफारिशों के आधार पर, डीबीयू की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देश 7 अप्रैल 2022 को जारी किए गए थे।

III.46 दिशानिर्देशों में डिजिटल बैंकिंग और डीबीयू की परिभाषाओं, डीबीयू द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों, पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, निदेशक मंडल की भूमिका और ग्राहक शिकायत समाधान तंत्र पर स्पष्टता प्रदान की गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार डीबीयू को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं पर ग्राहक शिक्षा प्रदान करके अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। वे ग्राहकों को पेपरलेस, कुशल, निरापद और सुरक्षित वातावरण में डिजिटल मोड के माध्यम से डिजिटल यात्रा शुरू करने में सुविधा प्रदान करेंगे। इससे वित्तीय समावेश में वृद्धि होने और जनता को निर्बाध और कुशल तरीके से वित्तीय उत्पादों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया में डिजिटल बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग के तहत एक अलग कारोबार खंड के रूप में भी स्वीकार किया गया है।

III.47 दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित किए गए। डीबीयू द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बचत, ऋण, निवेश और बीमा शामिल हैं। ऋण सुपुर्दगी के मोर्चे पर देखें तो, डीबीयू शुरुआती तौर पर, ऑनलाइन आवेदनों से लेकर संवितरण तक छोटे टिकट के खुदरा और एमएसएमई ऋणों की आदि-से-अंत तक डिजिटल प्रोसेसिंग प्रदान करेंगे। डीबीयू कुछ चिन्हित सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करेंगे। इन इकाइयों में उत्पादों और सेवाओं को दो मोड में प्रदान किया जाएगा अर्थात् स्व-सेवा और सहायक मोड जिसमें स्व-सेवा मोड 24 * 7 * 365 आधार पर उपलब्ध होगा।

डिजिटल उधार

III.48 हाल की अवधि में, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण की बदौलत वित्तीय सेवाओं के विस्तार में दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता, समावेश और प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेष रूप से डिजिटल उधार के क्षेत्र में। डिजिटल उधार गतिविधियों में तेजी आने की वजह से उत्पन्न व्यावसायिक आचरण और ग्राहक संरक्षण चिंताओं की पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उधार सहित डिजिटल उधार' (डब्ल्यूजीडीएल) के संबंध में एक कार्य समूह का गठन किया था, जिसने 18 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी थी। दिनांक 10 अगस्त 2022 को, रिज़र्व बैंक ने अपने आरई, उनके द्वारा नियोजित ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और उनके संबंधित डिजिटल उधार एप्लिकेशन (डीएलए) के लिए एक विनियामक ढांचा जारी किया, ताकि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर डिजिटल उधार विधियों के माध्यम से ऋण सुपुर्दगी के व्यवस्थित विकास का समर्थन किया जा सके।

III.49 दिनांक 2 सितंबर 2022 को तत्काल कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत डब्ल्यूजीडीएल की सिफारिशें अभिनवता को बढ़ावा देते हुए ग्राहक सुरक्षा में इजाफा करने और डिजिटल उधार परिवेश को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर केंद्रित हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता के बैंक खातों और आरई के बीच एलएसपी या किसी तीसरे पक्ष के किसी भी पास-थ्रू / पूल खाते के बिना निष्पादित किए जाएंगे; (ii) ऋण मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय कोई शुल्क या प्रभार सीधे आरई द्वारा भुगतान किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा; (iii) ऋण संविदा निष्पादित करने से पूर्व उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) समेत एक मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान किया जाना; (iv) एक कूलिंग-ऑफ अवधि जिसके दौरान उधारकर्ता

ऋण संविदा के भाग के रूप में प्रदान किए जाने वाले किसी भी दंड के बिना मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकल सकते हैं; (v) आरई को यह सुनिश्चित करना है कि उनके और उनके द्वारा नियोजित एलएसपी के पास फिनटेक/डिजिटल उधार संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक समुचित नोडल शिकायत निवारण अधिकारी हो; (vi) डीएलए द्वारा एकत्रित डेटा आवश्यकता आधारित, स्पष्ट लेखा सत्यापन युक्त और केवल उधारकर्ता की पूर्व स्पष्ट सहमति से एकत्र होनें चाहिएं, जिसमें उधारकर्ता विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं; (vii) आरई को आवश्यक है कि वह डीएलए के जरिए मूल रूप से प्राप्त किए गए किसी उधार एवं मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर आरई द्वारा प्रदान किए गए समस्त नए डिजिटल उधार संबंधी उत्पाद, जिसमें अल्पावधि ऋण या आस्थगित भुगतान शामिल हैं, की जानकारी ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) दें। ये दिशानिर्देश 2 सितंबर 2022 से नए ऋण प्राप्त करने वाले नए ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों पर लागू किए गए, जबकि मौजूदा डिजिटल ऋणों को 30 नवंबर 2022 तक दिशानिर्देशों का पालन करना था।

6. वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा

III.50 रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित और स्थिर वित्तीय बाजारों को विकसित करने की दृष्टि से सरकार और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय से बाजार सुधार और विनियामक नीतिगत परिवर्तन शुरू किए ताकि कुशल मूल्य का पता लगाने में सुविधा हो सके। नीति का उद्देश्य वित्तीय बाजारों की गहराई और चौड़ाई को बढ़ाना एवं व्यापार और जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त उत्पाद प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, इसका उद्देश्य पहुंच को आसान बनाना, भागीदारी बढ़ाना, अभिनवता को सुविधाजनक बनाना, उपयोगकर्ताओं की रक्षा करना और कारोबार के निष्पक्ष आचरण को बढ़ावा देना है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I (एडी -I) बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार

III.51 उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा, जिन्हें विदेशी बाजारों तक सीधे पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, विदेशी मुद्रा में उधार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 07 जुलाई 2022 को एडी-I बैंकों को अंतिम उपयोग के प्रयोजन से एक व्यापक समूह हेतु भारत में घटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) का उपयोग करने की अनुमति दी। तथापि, यह बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए निर्धारित नकारात्मक सूची के अधीन है। इस तरह के उधार जुटाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध थी।

बैंकों और एसपीडी को ऑफ-शोर विदेशी मुद्रा में निपटान रुपया डेरिवेटिव बाजार में सौदा करने की अनुमति देना

III.52 ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को बढ़ावा देने, ऑन-शोर और ऑफ-शोर बाजारों के बीच विभाजन को दूर करने और मूल्य पता लगाने की दक्षता को बेहतर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2022 और 08 अगस्त 2022 को क्रमशः फेमा, 1999 की धारा 10(1) के तहत प्राधिकृत एडी-I बैंकों और एसपीडी को अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ ओवरनाइट मुंबई अंतरबैंक प्रस्तावित दर (माइबोर) बेंचमार्क के आधार पर ऑफ-शोर विदेशी मुद्रा में निपटान ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी। एडी -1 बैंक भारत में अपनी शाखाओं, विदेशी शाखाओं या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से ये लेनदेन कर सकते हैं।

भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान

III.53 निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, 11 जुलाई 2022 को रिज़र्व बैंक ने आईएनआर में निर्यात और आयात की इन्वॉइसिंग, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की। तदनुसार, भारत में एडी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से व्यापारिक लेनदेन के निपटान के लिए साझेदार व्यापार देश के प्रतिनिधि

बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति का उदारीकरण

III.54 दिनांक 01 अगस्त 2022 को, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से ईसीबी के लिए स्वचालित मार्ग सीमा को 750 मिलियन अमरीकी डालर या समतुल्य से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमरीकी डालर या समतुल्य कर दिया और भारतीय सीआरए के निवेश ग्रेड रेटिंग वाले पात्र उधारकर्ताओं के लिए ईसीबी की समग्र लागत सीमा को 100 बीपीएस बढ़ाया। उपरोक्त व्यवस्थाएं 31 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध होंगी।

नई विदेशी निवेश व्यवस्था को परिचालन में लाना

III.55 दिनांक 22 अगस्त 2022 को, रिज़र्व बैंक ने एक नई विदेशी निवेश व्यवस्था को परिचालन में लाने के निर्देश जारी किए। नई व्यवस्था ने भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस तरह के निवेश के संबंध में मौजूदा ढांचे को सरल बनाया, भिन्न-भिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को काफी कम कर दिया। विदेशी निवेश नियम और विनियम, 2022 के जरिए लाए गए निर्देशों की बदौलत कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलने और अनुपालन का बोझ एवं तत्संबंधी अनुपालन लागत कम होने की उम्मीद है। इन निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, 'कार्यनीतिक क्षेत्र' की अवधारणा की शुरूआत, निवेश/विनिवेश के लिए मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों में लचीलापन और कतिपय शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत गैर-वित्तीय क्षेत्र (बीमा और बैंकिंग को छोड़कर) की संस्थाओं द्वारा वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश शामिल है। इसके अतिरिक्त, देरी से रिपोर्टिंग को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 'लेट सबमिशन शुल्क (एलएसएफ)' की व्यवस्था लाई गई।

7. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेश

III.56 रिज़र्व बैंक ने बुनियादी औपचारिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की एक शृंखला तक पहुंच को बेहतर करने और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआइ) 2019-24 भारत में वित्तीय समावेश नीतियों के दृष्टिपथ और प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिसमें डिजिटल वित्तीय समावेश को बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और देश में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) में पहल

III.57 विनिर्दिष्ट प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में बैंकों और एनबीएफसी के बीच विकसित की गई सहक्रियाओं को जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए कतिपय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को आगे उधार देने के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एनबीएफसी को प्रदत्त ऋणों और एसएफबी द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई को प्रदत्त ऋणों के मामले में पीएसएल वर्गीकरण की सुविधा को सतत आधार पर अनुमति दी गई है। निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स (एनडब्ल्यूआर) या इलेक्ट्रॉनिक एनडब्ल्यूआर (ईएनडब्ल्यूआर)[9] के एवज में ऋण की पीएसएल सीमा को ₹50 लाख से बढ़ा कर ₹75 लाख प्रति उधारकर्ता कर दिया गया था ताकि उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और कृषि उपज के गिरवी या दृष्टिबंधक पर किसानों को अत्यधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को संपार्श्विक मुक्त ऋण में वृद्धि

III.58 जुलाई 2021 में सरकार द्वारा सूक्ष्म वित्त ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) योजना में संशोधन के बाद, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एसएचजी को संपार्श्विक मुक्त ऋण की

[9] माल-गोदाम विकास और विनियामकीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और विनियमित माल-गोदामों द्वारा जारी एनडब्ल्यूआर और ईएनबडब्ल्यूआर।

राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए कोई जमानत नहीं ली जानी चाहिए और उनके बचत बैंक खाते पर कोई ग्रहणाधिकार अंकित नहीं किया जाना चाहिए। संपूर्ण ऋण (ऋण बकाया होने के बावजूद, भले ही यह बाद में ₹10 लाख से कम हो जाए) सीजीएफएमयू के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा। इससे महिला एसएचजी अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने योग्य होने की उम्मीद है।

8. उपभोक्ता संरक्षण और खुदरा भागीदारी

III.59 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण रिज़र्व बैंक का मुख्य फोकस रहा है। इसने ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए आरई, ग्राहकों और रिज़र्व बैंक लोकपाल को कवर करते हुए विभिन्न स्तरों पर पहल करना जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए।

रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021

III. 60 लोकपाल तंत्र को सरल, कुशल और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 नवंबर 2021 को तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं, नामतः, बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना (ओएसएनबीएफसी), 2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी), 2019 को एकीकृत करके आरबी-आईओएस शुरू किया। यह योजना 'सेवा में कमी' को बहिष्करण की एक निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में परिभाषित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं होने के कारण कोई भी शिकायत खारिज नहीं की जाएगी। यह प्रणाली 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल' सिद्धांत पर तैयार की गई है और इसमें 22 लोकपाल कार्यालयों में से प्रत्येक को सौंपे गए अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। ऋण सूचना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को भी 01 सितंबर 2022 से आरबी-आईओएस के दायरे में लाया गया था।

एनबीएफसी और सीआईसी के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना

III.61 आईओ योजना का उद्देश्य आरई स्तर पर ही शिकायतों के संतोषजनक समाधान को सक्षम करना है ताकि अन्य स्तरों पर शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता को कम किया जा सके। तदनुसार, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) को 15 नवंबर 2021 को निर्देश दिया गया था कि वे अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर एक आईओ नियुक्त करें। दिनांक 06 अक्टूबर 2022 को, सीआईसी को इस निर्देश के दायरे में लाया गया और ये 01 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। इन निर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* आईओ के लिए नियुक्ति और कार्यकाल, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश, और निरीक्षण तंत्र शामिल हैं। धोखाधड़ी से संबंधित पहलुओं, और वाणिज्यिक निर्णयों, आंतरिक प्रशासन, कर्मचारियों के वेतन और परिलब्धियों और न्यायाधीन मामलों से संबंधित शिकायतों को छोड़कर आरई के आंतरिक शिकायत तंत्र द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज की गई सभी शिकायतों की समीक्षा शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय से अवगत कराने से पहले आईओ द्वारा की जानी आवश्यक है।

रिज़र्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना की शुरूआत

III.62 भारत सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक निवेशक आधार के विस्तार समेत जी-सेक बाजार के विकास में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, 12 जुलाई 2021 को 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' की घोषणा की गई थी। दिनांक 12 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया

ऑनलाइन पोर्टल खुदरा निवेशकों के लिए रिज़र्व बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलकर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) में निवेश करना और इन प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों के साथ-साथ उनके द्वितीयक बाजार दोनों में सरल, सुरक्षित और प्रत्यक्ष तरीके से भाग लेने को सुविधाजनक बनाता है।

III.63 इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 04 जनवरी 2022 को रिटेल डायरेक्ट बाजार निर्माण योजना को भी अधिसूचित किया, जिसमें प्राथमिक व्यापारियों को पूरे बाजार समय में तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म (ऑड लॉट्स और कोट्स सेग्मेंट्स हेतु अनुरोध) पर उपस्थित रहने और आरडीजी खाताधारकों से खरीद/बिक्री संबंधी अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए अनिवार्य किया।

9. भुगतान और निपटान प्रणाली

III.64 प्रौद्योगिकी और अभिनवता को अपनाने में वृद्धि की बदौलत, भारत में भुगतान परिवेश के त्वरित विकास ने देश को न केवल डिजिटल भुगतान में वृद्धि के संदर्भ में बल्कि निरापद, सुरक्षित, अभिनव और कुशल भुगतान प्रणालियों की उपलब्धता के माध्यम से वैश्विक भुगतान जगत में एक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई पहलों ने भुगतान परिवेश को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया है और ईमानदारी, समावेश, अभिनवता, इन्स्टीट्यूश्नलाइजेशन और इंटरनेश्नलाइजेशन के पांच स्तंभों पर बनाया गया है, जैसा कि भुगतान विजन 2025 में परिकल्पित है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) में वृद्धि

III.65 यूपीआई123पे को मार्च 2022 में पेश किया गया था ताकि फीचर फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा यूपीआई भुगतान किया जा सके। इसे चार विकल्पों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे, (i) ऐप-आधारित फंक्शनैलिटी, (ii) मिस्ड कॉल, (iii) इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), और (iv) प्रॉक्सिमिटी साउंड-आधारित भुगतान। इसने देश में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन ग्राहकों के लिए यूपीआई तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। सितंबर 2022 में, यूपीआई लाइट पेश किया गया था ताकि ऑन-डिवाइस वॉलेट फीचर के माध्यम से ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के लेनदेन किए जा सकें। रिज़र्व बैंक ने जून 2022 में क्रेडिट कार्ड को यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने की भी अनुमति दी थी, जिसमें रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए प्रारंभिक सुविधा की योजना बनाई गई थी। इस व्यवस्था से उम्मीद है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान के लिए ग्राहकों को अधिक अवसर प्रदान करने में और आसानी होगी।

एटीएम में इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू)

III.66 सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्कों में इंटरऑपरेबल तरीके से कार्ड-रहित नकद निकासी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने मई 2022 में एटीएम नेटवर्क के माध्यम से लेनदेन के निपटान के साथ यूपीआई का उपयोग करके ग्राहक को प्राधिकृत करने की अनुमति दी। कार्ड-रहित नकद निकासी की सुविधा से स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग और डिवाइस टेम्परिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

ऑफलाइन भुगतान

III.67 इंटरनेट कनेक्टिविटी की गैर-मौजूदगी या अनियमितता, विशेष रूप से दूरदराज इलाकों में, डिजिटल भुगतान को अपनाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। सितंबर 2020 से जुलाई 2021 तक देश के विभिन्न हिस्सों में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकीय परीक्षण प्रारंभ करके देखा गया। पायलट कार्यक्रमों से मिले अनुभव और प्राप्त प्रतिक्रिया ने विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ऑफलाइन भुगतान समाधान की शुरुआत की गुंजाइश का संकेत दिया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 03 जनवरी 2022 को ऑफलाइन विधि से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रूपरेखा जारी की। इस रूपरेखा के तहत, ऑफलाइन लेनदेन को प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता नहीं होती है और सभी लेनदेन

के लिए ₹2,000 की समग्र सीमा के साथ प्रति लेनदेन ₹200 की सीमा के अधीन होते हैं जब तक कि खाते में शेष राशि फिर से भरी नहीं जाती। एएफए में उपयोग की गई सीमा को पुनः भरना केवल ऑनलाइन मोड में अनुमत है।

आवर्ती भुगतान के लिए ई-मैनडेट – सीमा में वृद्धि

III.68 गतिशील भुगतान आवश्यकताओं और ग्राहक सुविधा के साथ कार्ड लेनदेन की सलामती और सुरक्षा को संतुलित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त 2019 को आवर्ती लेनदेन के लिए सभी प्रकार के कार्ड पर ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग की इजाज़त दी थी। तदुपरांत 10 जनवरी 2020 को इन अनुदेशों में विस्तार किया गया ताकि यूपीआई लेनदेनों को शामिल किया जा सके। हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर और ग्राहकों को उपलब्ध पर्याप्त सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लेनदेन की सीमा को 16 जून 2022 को प्रति लेनदेन ₹2,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई थी।

सप्ताह के सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की उपलब्धता

III.69 एनएसीएच प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित एक वेब-आधारित समाधान है जो अंतर-बैंक, उच्च मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है जो दोहराव और आवधिक प्रकृति के होते हैं। वर्ष 2021-22 में, एनएसीएच ने 421 करोड़ लेनदेन की प्रॉसेसिंग की, जिसमें 313 करोड़ क्रेडिट लेनदेन शामिल थे, जिनमें से 247 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) थे।

III.70 सरकार और बिलर्स की मांग को पूरा करने और पूरे वर्ष इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले सभी चैनलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के अंत और अन्य छुट्टियों समेत सप्ताह के सभी दिनों में एनएसीएच को परिचालन में लाया। तदुपरांत, इस परिवेश की दक्षता को और बढ़ाने के लिए एनएसीएच में अधिक सेटलमेंट साइकिल शुरू किए गए हैं। इस पहल ने डीबीटी तेजी से जमा होने और उसके उपयोग, कॉर्पोरेट्स और अन्य हितधारकों को सभी दिनों में लाभांश और ब्याज का भुगतान करने, और नियत तारीख को ऋण किस्तों, बीमा प्रीमियम और एसआईपी जैसी आवर्ती राशि की रिकवरी को सक्षम बनाने *के साथ-साथ* कई लाभ प्रदान किए।

भारत-नेपाल धन-प्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि

III.71 भारत-नेपाल धन-प्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत प्रति लेनदेन की अधिकतम सीमा 1 अक्टूबर 2021 से ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई थी एवं भारत और नेपाल के बीच व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने और नेपाल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति-से-व्यक्ति धन-प्रेषण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से धन-प्रेषण की वार्षिक सीमा को हटा दिया गया था। इन इजाफों से नेपाल में बस चुके या स्थानांतरित हुए भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति और पेंशन के साथ-साथ भुगतान में सुविधा होने की उम्मीद है।

10. समग्र मूल्यांकन

III.72 वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अब तक रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्रतिक्रियाएं एक मजबूत, आघात-सहनीय और कुशल वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने के प्रमुख लक्ष्य के साथ-साथ तेजी से बदलते समष्टि-वित्तीय वातावरण, जिसे कई झटके सहने पड़े, के अनुरूप रहीं हैं। भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तूफान के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती और आघात-सहनीयता इसके तुलनात्मक रूप से बेहतर समग्र समष्टि दृष्टिकोण को सहारा देने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को नई चुनौतियों का सामना करने और इस गतिशील वातावरण में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा, साथ ही उचित कारोबार मॉडल, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, निरंतरता, स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेश पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। रिज़र्व बैंक की आगामी पहलों से इस दिशा में विनियमित संस्थाओं की प्रगति का मार्गदर्शन करने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित और संरक्षित करने एवं बाजारों के कुशल कामकाज में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।